न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मऊ।

UPMA010031672026

<u>द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं. 1056/2026</u>

*****

श्रीराम उम्र लगभग 57 वर्ष पुत्र स्व० नरेश
निवासी– मु०बाद सिपाह, थाना– दोहरीघाट, जनपद– मऊ।

.... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ० प्र० राज्य

.... विपक्षी

मु.अ.सं. 97/2026
अं. धारा– 351(3) बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधि.
थाना– दोहरीघाट, जनपद, मऊ।

<u>आदेश</u>

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र आवेदक/अभियुक्त श्रीराम ओर से मुकदमा अपराध संख्या 97/2026 अंतर्गत् धारा 351(3) बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय आख्यानुसार सी.आई.एस. पर उपलब्ध डेटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में अभियुक्त श्रीराम का जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 05.06.2026 को स्वीकार किया गया है।

3. मैनें आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पुलिस प्रलेखों का सम्यक् परिशीलन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन–पत्र में यह आधार लिया गया है कि आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं. 978/2026 दिनांक 05.06.2026 को न्यायालय सत्र न्यायाधीश से स्वीकार किया गया है किंतु जमानत आदेश में धारा 351(3) बी.एन.एस. के स्थान पर 351(2) बी.एन.एस. अंकित हो गया है तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम सहवन अंकित होना छूट गया है। आवेदक दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपर्युक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से दिनांक 05.06.2026 को स्वीकृत किया जा चुका है। जमानत आदेश दिनांकित 05.06.2026

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.06.20 09:39:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि जमानत आदेश में धारा 351(3) बी.एन.एस. के स्थान पर 351(2) बी.एन.एस. अंकित हो गया है तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम सहवन अंकित होना छूट गया है।

6. उपर्युक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त/आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त श्रीराम की ओर से थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ के मुकदमा अपराध संख्या 97/2026 अंतर्गत् धारा 351(3) बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त श्रीराम को पूर्व जमानत आदेश दिनांकित 05.06.2026 में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–19.06.2026

[बाकर शमीम रिज़वी]
प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
मऊ।